

स्पीड पोस्ट/ई-मेल  
प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय  
भा0प्र0से0  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना, दिनांक- 29.4. 2016

**विषय:-** बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001- जिला प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिये कुल ₹ 30,65,50,000/- (तीस करोड़ पैसठ लाख पचास हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिये कुल ₹ 30,65,50,000/- (तीस करोड़ पैसठ लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि0 17 अप्रैल 1998 एवं 2793 दिनांक 04.04.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
6. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
11. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।

12. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन



(दयानिधान पाण्डेय)  
सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट/ई-मेल  
प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय  
भा0प्र0से0  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना, दिनांक-

2016

**विषय:-** बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001- जिला प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिये कुल ₹ 30,65,50,000/- (तीस करोड़ पैंसठ लाख पचास हजार रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिये कुल ₹ 30,65,50,000/- (तीस करोड़ पैंसठ लाख पचास हजार रूपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि0 17 अप्रैल 1998 एवं 2793 दिनांक 04.04.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
6. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
11. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।


12. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(दयानिधान पाण्डेय)  
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक संख्या-5/बजट 1-04/2016 सा0-.....<sup>05</sup>...../ पटना, दिनांक- 29/4 /2016  
**प्रतिलिपि** :- महालेखाकार बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव

वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिए (मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-0001-जिला प्रशासन)  
आवंटन :-

क्र० सं०	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	विकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग-वेतन एवं भत्ते
1	2	3	4	5	6	7	8
	कूट संख्या -	01 01	01 03	01 04	01 06	01 07	
1	पटना	50,00,000	51,00,000	5,00,000	1,00,000	50,000	1,07,50,000
2	भोजपुर	43,00,000	44,00,000	2,00,000	50,000	40,000	89,90,000
3	बक्सर	30,00,000	31,00,000	2,00,000	50,000	40,000	63,90,000
4	रोहतास	40,00,000	41,00,000	2,00,000	50,000	40,000	83,90,000
5	कैमूर(भभुआ)	30,00,000	31,00,000	1,50,000	50,000	40,000	63,40,000
6	नालन्दा	40,00,000	41,00,000	2,00,000	50,000	40,000	83,90,000
7	गया	50,00,000	51,00,000	2,00,000	1,00,000	50,000	1,04,50,000
8	नवादा	40,00,000	41,00,000	2,00,000	50,000	40,000	83,90,000
9	जहानाबाद	40,00,000	41,00,000	2,00,000	50,000	40,000	83,90,000
10	औरंगाबाद	40,00,000	41,00,000	2,00,000	50,000	40,000	83,90,000
11	अरवल	30,00,000	31,00,000	1,50,000	50,000	40,000	63,40,000
12	मुजफ्फरपुर	50,00,000	51,00,000	3,00,000	1,00,000	50,000	1,05,50,000
13	सीतामढ़ी	50,00,000	51,00,000	2,00,000	50,000	40,000	1,03,90,000
14	पूंचम्पारण	40,00,000	41,00,000	2,00,000	50,000	40,000	83,90,000
15	प०चम्पारण	40,00,000	41,00,000	2,00,000	50,000	40,000	83,90,000
16	शिवहर	20,00,000	21,00,000	1,00,000	50,000	40,000	42,90,000
17	वैशाली	40,00,000	41,00,000	2,00,000	50,000	40,000	83,90,000
18	दरभंगा	50,00,000	51,00,000	2,00,000	1,00,000	50,000	1,04,50,000
19	मधुबनी	50,00,000	51,00,000	2,00,000	50,000	40,000	1,03,90,000
20	समस्तीपुर	50,00,000	51,00,000	2,00,000	50,000	40,000	1,03,90,000
21	सारण	50,00,000	51,00,000	2,00,000	1,00,000	50,000	1,04,50,000
22	सिवान	40,00,000	41,00,000	2,00,000	50,000	40,000	83,90,000
23	गोपालगंज	40,00,000	41,00,000	2,00,000	50,000	40,000	83,90,000
24	भागलपुर	50,00,000	51,00,000	2,00,000	1,00,000	50,000	1,04,50,000
25	बांका	30,00,000	31,00,000	2,00,000	50,000	40,000	63,90,000
26	मुंगेर	40,00,000	41,00,000	2,00,000	1,00,000	50,000	84,50,000
27	लखीसराय	20,00,000	21,00,000	2,00,000	50,000	40,000	43,90,000
28	शेखपुरा	20,00,000	21,00,000	2,00,000	50,000	40,000	43,90,000
29	जमुई	20,00,000	21,00,000	2,00,000	50,000	35,000	43,85,000
30	खगड़िया	40,00,000	41,00,000	2,00,000	50,000	40,000	83,90,000
31	बेगूसराय	40,00,000	41,00,000	2,00,000	50,000	40,000	83,90,000
32	पूर्णिया	40,00,000	41,00,000	2,00,000	50,000	50,000	84,00,000
33	कटिहार	40,00,000	41,00,000	2,00,000	50,000	40,000	83,90,000
34	अररिया	30,00,000	31,00,000	2,00,000	50,000	40,000	63,90,000
35	किशनगंज	25,00,000	21,00,000	2,00,000	50,000	40,000	48,90,000
36	सहरसा	40,00,000	41,00,000	2,00,000	50,000	50,000	84,00,000
37	मधेपुरा	40,00,000	41,00,000	2,00,000	50,000	40,000	83,90,000
38	सुपौल	30,00,000	31,00,000	2,00,000	50,000	35,000	63,85,000
	कुल योग -	14,58,00,000	14,91,00,000	78,00,000	22,50,000	16,00,000	30,65,50,000

(तीस करोड़ पैंसठ लाख पचास हजार रूपये) मात्र

सरकार के अपर सचिव  
सामान्य प्रशासन विभाग